

फर्द अहकाम

कार्यालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर


थी:- ~~सरकार जारिये तहसीलदार, सलुम्बर~~ विपक्षी तेजीलाल

फैरम मुकदमा:- धारा-177 L.R.A. Act पत्रावली संख्या 57 सन् 2019

उपरोक्त प्रार्थनापत्र मे हल्का पटवारी मे भौका रिपोर्ट ली गई। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 2996/2550 रकबा 0.86 हेक्टेयर पर भूमि समतलिकरण कर सरसो की फसल बोई गई है तथा इस भूमि पर किसी प्रकार का अवैध खनन नही हो रहा है।

अतः प्रार्थनापत्र मे अलब्ध दस्तावेजात व पटवारी रिपोर्ट तथा विपक्षीगण के जवाब पर ममन किया गया। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी नं. 2996/2550 रकबा 0.86 हेक्टेयर पर सरसो की फसल है तथा विपक्षीगण उसमे काबल कर रहे हैं। अतः प्रार्थनापत्र साबित नही हो पावे से प्रार्थनापत्र धारा-177 L.R.A. Act खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दायिले दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर सलुम्बर  
जिला-उदयपुर